

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2020—पौष 20, शक 1941

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-335-2014-5-एक.—संघ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 4 फरवरी 2019 से माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 200/00789/2014 श्री आशीष सक्सेना विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 6 सितम्बर 2018 के आलोक में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2019 द्वारा श्री आशीष सक्सेना को चयन वर्ष 2011 की रिकियों के आधार पर उन्हें राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्तरि प्रदान करते हुए उन्हें भाप्रसे में आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किया गया है।

(2) भारत सरकार द्वारा श्री आशीष सक्सेना का उपरोक्तानुसार 2005 के स्थान पर आवंटन वर्ष 2003 आवंटित किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के मार्गदर्शी दिशा-निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार आवंटन वर्ष 2003 से गणना की जाकर श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003) को प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2019 से 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे को स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2012 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया तथा छानबीन समिति की बैठक दिनांक 2 नवम्बर 2019 में की गई अनुशंसा एवं प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त श्री आशीष सक्सेना को आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2019 से उनसे कनिष्ठ श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे (2003) दिनांक 1 जनवरी 2016 से काल्पनिक रूप से प्रवर श्रेणी वेतनमान भी स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) श्री आशीष सक्सेना को पुनरीक्षित आवंटन वर्ष 2003 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी 2019 की स्थिति में 16 वर्ष की निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण कर लेने से अधिसमय वेतनमान में उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 7 दिसम्बर 2019 को रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया। छानबीन समिति की रिव्यू बैठक दिनांक 7 दिसम्बर 2019 में श्री आशीष सक्सेना को अधिसमय वेतनमान के लिए उपयुक्त पाया गया। अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमति अलका श्रीवास्तव भाप्रसे (2003) को स्वीकृत अधिसमय वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/- (पे मेट्रिक्स-14) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जावे।

(4) आवंटन वर्ष 2003 के भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान दिए जाने के संबंध में दिनांक 7 दिसम्बर 2018 की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान विभागीय आदेश क्रमांक ई-1-317-2018-5-एक, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है।

(5) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव, भाप्रसे (2003) को स्वीकृत अधिसमय वेतनमान की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से भाप्रसे के अधिसमय वेतनमान रुपये 1,44,200-2,18,200/- (पे मेट्रिक्स-14) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है। अधिसमय वेतनमान में श्री आशीष सक्सेना को वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति की तिथि अर्थात् 1 जनवरी 2019 से निर्धारित होंगे, किन्तु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से लेकर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के वेतन/भत्तों एवं एरियर्स की राशि की पात्रता “कार्य नहीं वेतन नहीं” के सिद्धांत पर देय नहीं होगी।

(6) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति उपरांत श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003) को वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदस्थ किया जाता है।

(7) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित संभागीय कमिश्नर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-493-2019-5-एक.—श्री एम. गोपाल रेड्डी, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-490-2019-5-एक.—श्री मनोज खत्री, भाप्रसे (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर आईएएस आफिसर्स (फेज-3 राउन्ड-15) में दिनांक 2 दिसम्बर 2019 से 27 दिसम्बर 2019 तक आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने की अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे (2000), सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तनमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीब-5-एक.—श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को समसंबंधक आदेश दिनांक 14 नवम्बर 2019 द्वारा दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2019 तक, तीन दिन का आकस्मिक अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

क्र. ई-5-832-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अश्विनी कुमार राय, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग को दिनांक 13 से 25 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ 12 नवम्बर 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2019 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री सतीश कुमार एस., भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथौड़े, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार गृहण करने पर श्री सतीश कुमार एस., कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथौड़े, को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-869-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आयएएस., कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजय गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजय गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता तो अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-888-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2020 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 एवं 18, 19 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री कर्मवीर शर्मा की अवकाश अवधि में श्री बाला गुरु के, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बाला गुरु के, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा तो अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-889-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह आयएएस., कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार गृहण करने पर श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-916-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती रुचिका चौहान, आयएएस., कलेक्टर, जिला रत्नाम को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 22 एवं दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती रुचिका चौहान, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्रीमती जमुना भिड़े राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रुचिका चौहान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती रुचिका चौहान, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, रतलाम का कार्यभार गृहण करने पर श्रीमती जमुना भिड़े राप्रसे कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती रुचिका चौहान को अवकाश एवं वेतन भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रुचिका चौहान, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1006-आयएएस-लीब-5-एक।—(1) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 26 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अशोकनगर का प्रभार श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला अशोकनगर का कार्यभार गृहण करने पर श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे कलेक्टर, जिला अशोकनगर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1056-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राकेश कुमार  
श्रीवास्तव, भाप्रसे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन  
विभाग को दिनांक 3 से 10 जनवरी 2020 तक, आठ दिन का  
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ  
दिनांक 11, 12 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने  
की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर सुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो कि उन्हें अवकाश पर जाने के पर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भाष्पसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. ई-1-182-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान रूपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

## तालिका

मुख्य सचिव वेतनमान में  
पटोन्टि पर पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद  
असंवर्गीय होने की दशा में  
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष  
घोषित किया गया है

(1)	(2)
१ श्री विनोद कुमार (1989), प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	

(3) प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

(1)	(2)	(3)	(4)
2 जे. एन. कांसौटिया (1989)	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मण्डल	

क्र. ई-1-306-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है:—

### तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री उमाकांत उमराव (1996), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	अतिरिक्त, विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
2	श्रीमती अरुणा गुप्ता (2004), संचालक, एम. पी. स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, भोपाल तथा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं संचालक, एम. पी. स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, भोपाल.

क्र. ई-1-488-2019-5-एक.—श्री राकेश सिंह, भाप्रसे (2009), संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-1-494-2019-5-एक.—सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016), सहायक कलेक्टर, जिला रायसेन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन, जिला रायसेन पदस्थ किया जाता है।

क्र. ई-1-498-2019-5-एक.—डॉ. पंकज जैन, भाप्रसे (2012), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल तथा संचालक, विमानन (अतिरिक्त प्रभार) को संचालक विमानन के अतिरिक्त

प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी तक, स्थानापन संचालक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2019

क्र. ई-5-882-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शिल्पा गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिल्पा गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-951-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री रवीन्द्र सिंह, आयएएस, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1053-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री शैलबाला मार्टिन, आयएएस., उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शैलबाला मार्टिन, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री शैलबाला मार्टिन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शैलबाला मार्टिन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1094-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री शिवराज सिंह वर्मा, आयएएस, अपर आयुक्त आबकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शिवराज सिंह वर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त आबकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शिवराज सिंह वर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शिवराज सिंह वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,**  
**दीपिति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).**

## सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-11-146-2019-सूअप्र-1-9-938.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2019 तक, पांच दिवस के आकस्मिक अवकाश एवं उक्त अवधि की एल.टी.सी. [भोपाल से तिरुपति एवं श्रीसेलम (आन्ध्रप्रदेश) वाया हैदराबाद यात्रा] की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव।

## गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1(ए) 192-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल, को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-29 दिसम्बर 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1(ए) 28-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2019 द्वारा श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22 दिसम्बर 2019 को विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले जौबरी (सिकिकम) की भ्रमण यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(2) उक्त आदेश के अनुक्रम में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

क्र. एफ 1(ए) 59-2003-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विस्तार, इन्डौर को स्वयं के अस्वस्थता के कारण दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2019 तक चार दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 08 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सूर्यवंशी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2019 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे-95 पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट को दिनांक 23 दिसम्बर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 दिसम्बर 2019 व दिनांक 5 जनवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

क्र. एफ 1(ए) 389-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विपुस्था. (पूर्व) लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को स्वयं के अस्वस्थता के कारण

दिनांक 18 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2019 तक पन्द्रह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 30 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1(ए) 148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन को दिनांक 27 दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी 2020 तक छह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस उप महानिरीक्षक, चंबल रेन्ज द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाश काल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

क्र. एफ 1(ए) 66-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज होशंगाबाद को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री एम. एल. छारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक, होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रामाश्रय चौबे भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामाश्रय चौबे, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए) 163-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पु. मु., भोपाल को दिनांक 17 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि., पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार टंडन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

**विधि और विधायी कार्य विभाग  
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.-6602-इक्कीस-ब(दो) 2019.—राज्य शासन, अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला शिवपुरी के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, शिवपुरी (नामांकन क्र. एम. पी./1297/1990, दिनांक 16 जुलाई 1995) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 2 नवम्बर 1964 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री शैलेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता, शिवपुरी को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.-6591-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक 6370-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 10 दिसम्बर 2019 जिसके द्वारा, इस विभाग के आदेश क्रमांक 3464 A-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 29 जून 2019 के माध्यम से अपर लोक अभियोजक के रूप में पदाधिकार किये गये 7 वर्ष या उससे अधिक सेवा के प्रदेश के समस्त सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य से विरत् किया गया था, को निरस्त करता है।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

फा. क्र.-6388-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला ग्वालियर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर (नामांकन क्र. एम. पी./1119/2011, दिनांक 11 जून 2011) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 1 जनवरी 1982 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-इकीस-ब(दो), दिनांक 26 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800)-अन्य

व्यय-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171)-विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

अधिसूचना क्र. 35 एफ 1-38-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद बण्डा, जिला सागर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	नगर परिषद का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	चरित्र सत्यापन
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
<b>1. जिला बुरहानपुर</b>				

1	नगर परिषद बण्डा, जिला सागर.	1	श्री कोमल चन्द्र सिंघई पता-वार्ड क्र. 04 बण्डा	पात्र
		2	श्री पवन मिश्रा, पता-वार्ड क्र. 10 बण्डा.	पात्र

अधिसूचना क्र. 34 एफ 1-38-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित नगर परिषद शाहपुर, जिला बुरहानपुर में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

स. क्र.	नगर परिषद का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	चरित्र सत्यापन
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)

### 1. जिला बुरहानपुर

1	शाहपुर, जिला बुरहानपुर	1	श्री सफी कुरैशी पिता श्री शेख यासीन कुरैशी पता-बड़ा बाजार, वार्ड नं. 12 शाहपुर, जिला बुरहानपुर.	पात्र
2		2	श्री किशोर (बंडू) देशमुख पिता श्री प्रभाकर राव देशमुख, पता-वार्ड नं. 4 शाहपुर, जिला बुरहानपुर.	पात्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

### सूचना

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र.-एफ-3-68-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3033-टीसी-63-उपां-नग्रानि-2018, दिनांक 27 मई 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण और निम्नानुसार हैं:—

### अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चिरहुला-183 तहसील हुजूर जिला-रीवा.	6 का अंश भाग	0.474	वर्तमान आवासीय सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए)
		185/2	4.858	वर्तमान आवासीय, आमोद- प्रमोद (उद्यान) प्रस्तावित आवासीय.	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना)
		162	2.914	आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण) एवं मार्ग प्रस्तावित आवासीय,	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना)
		294	0.166	आमोद-प्रमोद (उद्यान)	आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना)
				योग . . . 8.412	

उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,

### पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 6-3-2019-चौबन-2.—राज्य शासन एतद्वारा मान. प्रधानमंत्रीजी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु आदेश क्रमांक एफ 6-4-2008-चौबन-2, दिनांक 29 मई 2013, 16 मार्च 2015 से जारी दिशा-निर्देशों की कण्डिका 5 बी (1) के प्रावधान अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों की समिति को पुनर्गठित किया जाता है:—

क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	श्री नंद कुमार सिंह चौहान मान. सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित).	सदस्य
3	श्री राकेश सिंह मान. सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित).	सदस्य
4	श्रीमती सम्पत्या उइके, मान सांसद (भारत सरकार द्वारा नामांकित).	सदस्य
5	अल्पसंख्यक बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान 1. श्री आरिफ मसूद, मान. विधायक, भोपाल 2. श्री हरदीप सिंह डंग, मान. विधायक सुवासरा, मन्दसौर.	विधायक सदस्य सदस्य

(1)	(2)	(3)
6	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन.	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	सदस्य
10	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
13	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण	सदस्य
14	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
15	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	सदस्य
16	प्रबंध संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम	सदस्य
17	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य).	
	1. श्री रमजान पिता श्री गफ्फूर खान, ग्राम पिपलदा तह. कन्नोद, जिला देवास.	सदस्य
	2. श्री ताहिर मोहम्मद पिता श्री फूलमियां ग्राम झागर, तह. सिरोंज, जिला विदिशा.	सदस्य
	3. श्रीमती आशिया खां, पत्नी श्री सैयद जाफर ग्राम पंचायत, जाटाछापा तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.	सदस्य
18	अशासकीय अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि	
	1. श्री हाजी अब्दुल कादिर पिता मरहूम शेख रूस्तम, स्टेशन रोड कटनी भोपाल.	सदस्य
	2. श्री इफ्तखार अहमद पिता श्री निसार अहमद, सनराईज कालोनी ईदगाह बुरहानपुर.	सदस्य
	3. श्री नफीज मंशा खान पिता स्व. श्री अखतर परवेज खानका वार्ड बुरहानपुर.	सदस्य
19	अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि	
	1. श्री बशीर बेग, पिता श्री अमजद बेग आष्टा सीहोर	सदस्य
	2. श्री काजी खलिक उर रहमान पिता श्री अताउर्रहमान, 34 मिर्जा नईम रोड काजी हाउस देवास.	सदस्य
	3. श्री आजम खा पिता श्री सिकन्दर खां तिलकगंज, सागर.	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश एस. थेटे, सचिव.

**औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 1775-2019-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स हिंडाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बरगवां, जिला-सिंगरौली, मध्यप्रदेश को वाष्ययंत्र क्रमांक एमपी/5080 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 3 जनवरी 2020 से 2 जनवरी 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त जावेगी।
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी।
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षण निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**द्वी. के. बरोनिया, उपसचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश**

जबलपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. 9940-स.अ.(का.) 2019.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भरत यादव, आई.ए.एस. कलेक्टर, जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2020 में जिला जबलपुर के लिये निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	त्यौहार का नाम (2)	स्थानीय अवकाश की तारीख (3)	दिन (4)	रिमार्क (5)
1	होली भाईदोज	11 मार्च, 2020	बुधवार	संपूर्ण जिला
2	दशहरा दुर्गा महाष्ठमी	24 अक्टूबर 2020	शनिवार	संपूर्ण जिला
3	दीपावली भाईदोज	16 नवम्बर, 2020	सोमवार	संपूर्ण जिला

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश, कोषालय/उप कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा।

भरत यादव, कलेक्टर.

## कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

### मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल विभागीय परीक्षा प्रक्रोष्ट

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 29, 30, 31 जुलाई 2019 एवं 01 अगस्त 2019 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें सहायक वन संरक्षक के लिए 29 जुलाई 2019 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 30 जुलाई 2019 को द्वितीय-सामान्य विधि तथा दिनांक 31 जुलाई 2019 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

#### सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय	
			(जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)	(4)
(1)	(2)	(3)	भोपाल संभाग	
1	श्री दीपक श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—
2	श्री प्रीति काकोड़िया	वनक्षेत्रपाल	—	—
3	श्री गौरव कुमार काबरा	सहायक वन संरक्षक	—	—
4	श्रीमती रुही हक	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	—
5	श्री दिनेश कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
6	श्री दीपक तिरपुडे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्रीमती विद्या गिनारे	वनक्षेत्रपाल	—	—
8	श्री अमित कुमार आर्य	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
9	श्रीमती रचना शर्मा	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
10	श्री लोचन प्रसाद शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
11	श्री अरुण कुमार रायकुंवर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
12	श्री विजय कुमार बारस्कर	वनक्षेत्रपाल	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
13	श्री रामस्वरूप उर्द्धके	वनक्षेत्रपाल	—	—
14	श्री मोहित सूद	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
15	श्री आशीष कुमार पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
16	श्री बसंत कुमार पिछोडे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
17	श्री विनय कुमार मेश्राम	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि
18	श्री पुनीत सोनकर	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
19	श्री विजय मोरे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	—
20	श्री अंकित जामोद	सहायक वन संरक्षक	—	द्वितीय-सामान्य विधि
21	श्री हीरालाल पटेल	वनक्षेत्रपाल	—	—
22	श्री बिसन सिंह मौर्य	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—
23	श्री मनोज कुमार जाटव	वनक्षेत्रपाल	—	द्वितीय-सामान्य विधि
24	श्री विजयेन्द्र सिंह जावरिया	वनक्षेत्रपाल	—	—
25	श्री दिनेश सिंह गौर	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
26	श्री संजीव कुमार	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि	—
27	श्री मुकेश डूडवे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—
28	श्री डी. के. मराठा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
29	श्री नितिन कुमार निगम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—
30	श्री नरेन्द्र पण्डवा	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि
31	श्री अधर गुप्ता	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा

(1)	(2)	(3)	(4)
<b>ग्वालियर संभाग</b>			
32	श्री स्वामी कार्तिक नायक	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
33	श्री पुष्पेन्द्र सिंह धाकड़	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि —
34	श्री अनिल कुमार सोनी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
35	श्री अमित राठौर	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
36	श्री सुधीर शर्मा	वनक्षेत्रपाल	— तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
37	श्री राहुल कुमार घारू	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि —
38	श्री हरिओम शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि —
39	श्रीमती दीपमाला शिवहरे	वनक्षेत्रपाल	— द्वितीय-सामान्य विधि
40	सुश्री सुचिता मेश्राम	वनक्षेत्रपाल	— तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
<b>इन्दौर संभाग</b>			
41	श्री आफताब अहमद खान	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
42	श्री दिनेश वास्केल	स.व.सं. प्रशिक्षु	— द्वितीय-सामान्य विधि
43	श्री विजय कुमार वर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
44	श्रीमती माया मुजाल्दे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
45	श्री कैलाशचन्द्र पुरोहित	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
46	श्री ओमप्रकाश शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
47	श्री दिनेश निगम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
48	श्री तेज सिंह चौहान	सहायक वन संरक्षक	— द्वितीय-सामान्य विधि
49	श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौड़	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
50	श्री महेश कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
51	श्री इदेश अचाले	वनक्षेत्रपाल	— द्वितीय-सामान्य विधि
<b>जबलपुर संभाग</b>			
52	श्री वेणी प्रसाद डौतानिया	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
53	श्री राजा खेरे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
54	श्रीमती विनीता ब्राह्मे	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
55	श्री राम भरोसा पाठक	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
56	श्री शरद सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
57	श्री बादशाह रावत	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
58	श्री नितेश कुमार गंगेले	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
59	श्री अभिषेक कुमार तिवारी	सहायक वन संरक्षक	— द्वितीय-सामान्य विधि
60	श्री प्रशांत कुमार साकरे	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
61	श्री हृदयलाल सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
62	श्री अंकित पाण्डेय	भा.व.से. प्रशिक्षु	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
63	श्री अमित सोलांकी	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
64	सुश्री संध्या देशकर	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
65	श्री कलुआ कुम्हार	सहायक वन संरक्षक	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
66	श्री समरजीत सिंह चंदेल	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि द्वितीय-सामान्य विधि
67	श्री विवेक सिंह पटेल	वनक्षेत्रपाल	— द्वितीय-सामान्य विधि

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास).

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-विदिशा, मध्यप्रदेश**

विदिशा, दिनांक 28 दिसम्बर 2019

क्र. 2072-7-जागीर-2019.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला विदिशा, जिला विदिशा के लिये जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार करता हूँ:

**जिला स्तरीय सतर्कता, समिति विदिशा**

धारा 13 की उपधारा 2(क) के अधीन

**अध्यक्ष**

**जिला दण्डाधिकारी, विदिशा**

धारा 13 की उपधारा 2(ख) के अधीन

**सदस्य**

1. श्री कोमल जाटव
2. श्री मनोज जाटव
3. श्रीमती अंजना चिढ़ार

धारा 13 की उपधारा 2(ग) के अधीन

**सदस्य**

1. श्री उमेश चुतवेंदी
2. श्री रूपेन्द्र सिंह राजपूत

धारा 13 की उपधारा 2(घ) के अधीन

**सदस्य**

1. पुलिस अधीक्षक, विदिशा
2. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, विदिशा
3. जिला खनिज अधिकारी, विदिशा

धारा 13 की उपधारा 2(ड) के अधीन

**सदस्य**

**लोड बैंक ऑफिसर, विदिशा**

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

**कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन मध्यप्रदेश**  
**क्र. कलो.-उज्जैन-एस.डब्ल्यू.-41-2020**

उज्जैन, दिनांक 3 जनवरी 2020

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973,1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-10/2015/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 06.09.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक— नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर — (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

**सारणी**

पुलिस थाने का नाम /तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	ग्रामों एवं कालोनीयों क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिससे सम्मिलित किया गया है
	नाम	बंदोबस्त नंबर	वार्ड नंबर	
1			2	3
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	चिन्तामन गणेश	99	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	जवासिया	99	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	मंगरोला	214	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	रत्नाखेड़ी	232	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	मुण्डला सुलेमान	224	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	नीलकंठ	149	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	फतियाबाद	172	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	बादलखेड़ी	189	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	टंकारिया	109	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	कांकरिया चीराखान	35	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	लेकोडा	248	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	लिम्बा पिपलिया	167	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	राणाबड़	239	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	हासामपुरा	282	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	ब्रजराजखेड़ी	196	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	पालखेड़ी	170	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	चांदमुख	83	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	गंगेडी	64	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना नीलगंगा जिला उज्जैन से	गोंदिया	72	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	तालोद	115	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	बामोरा	177	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	चंदूखेडी	80	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	नलवा	136	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	उमरिया जागीर	22	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	भेरुखेडा	107	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	टकवासा	107	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	पारदीखेडा	25	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	आकासोदा	9	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	हमीरखेडी	277	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	अजराना	7	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	खेमासा	60	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना महाकाल जिला उज्जैन से	कंडारिया	25	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	झिरोलिया	104	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	रमजानखेडी	236	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	बुचाखेडी	252	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	देवराखेडी	123	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	सेमदिया नसर	279	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	असलाना	5	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन
थाना भेरुगढ़ जिला उज्जैन से	ऐरवास	23	पंचायत	थाना चिन्तामण गणेश जिला उज्जैन

No. F-2(K) 2-08-B-3-Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department Order No. —F2-(K)-10/2015/B-3/two,Bhopal, Dated 06-09-2018 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3) of the said Table :

Table

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/ Local Areas (2)			Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Name of village	Settlement No. Local Areas	Ward No.	
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Chintaman Ganesh	99	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Jawasiya	99	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Mangrola	214	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Ratnakhedi	232	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Mundla Suleman	224	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Neelkhant	149	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Fatehabad	172	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Badalkhedi	189	Panchayat	Police Station Chintaman Ganesh Dist. Ujjain

Police Station Neelganga Dist Ujjain	Tankariya	109	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Kankriya Chirakhan	35	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Lekoda	248	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Limba Pipiya	167	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Ranabad	239	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Hasampura	282	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Brajrajkhedi	196	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Paalkhedi	170	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Chandmukh	83	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Gangedi	64	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Neelganga Dist Ujjain	Gondiya	72	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Talod	115	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Bamora	177	Panchayat	Police Chintaman Dist. Ujjain	Station Ganesh
Police Station	Chandukhedi	80	Panchayat	Police Chintaman	Station Ganesh

Mahakal Dist Ujjain				Dist. Ujjain
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Nalwa	136	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Umariya Jagir	22	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Bherukheda	107	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Takvasa	107	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Pardikheda	25	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Akasoda	9	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Hamirkhedi	277	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Ajrana	7	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Khemasa	60	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Mahakal Dist Ujjain	Kandariya	25	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Jhiroliya	104	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Ramjankhedi	236	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Buchakhedi	252	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Devrakhedi	123	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Semdiya Nasar	279	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Aslana	5	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh
Police Station Bheravgarh Dist Ujjain	Ervas	23	Panchayat	Police Chintaman Station Dist. Ujjain Ganesh

क्र. कलो.-उज्जैन-एस.डब्ल्यू.-42-2020

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973,1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2(क)-10/2015/बी-3/दो भोपाल, दिनांक 06.09.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

एक— नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर — (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है ।

दो— सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

### सारणी

पुलिस थाने का नाम /तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है	ग्रामो एवं कालोनीयों क्षेत्रों के नाम			पुलिस थाने का नाम /तहसील जिला सहित जिससे सम्मिलित किया गया है
	नाम	बंदोबस्ता नंबर	पार्ड नंबर	
1			2	
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	पाण्ड्याखेड़ी	168	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	डालडा फैक्ट्री क्वार्टर	168	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	शिवनगर	168	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	पंवासा अमृत नगर	156	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	बैकुण्ठधाम कॉलोनी	156	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	नीमनवासा	148	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	गलपुरा	148	41	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	संगम नगर	148	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	बजरंग कॉलोनी	148	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	गौरी नगर	148	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	वर्मा जी का कुआ	148	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	शंकरपुर	257	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	माधौपुर	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	केशरबाग	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	मैत्री निकुंज	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	परदी मोहल्ला	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन

थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	माधौपुरा तिराहा	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	क्षिप्रा विहार	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	पंचकुआ	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	बजारा	219	40	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	ताजपुर	114	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	दरखेड़ी	124	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	खजुरिया कुमावत	52	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	मौला खेड़ी भैसोदा	211	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	व्यावरा	194	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	हरसोदन	281	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन
थाना चिमनगंज जिला उज्जैन से	भेरुपुरा	114	ग्राम पंचायत	थाना पंवासा जिला उज्जैन

No. F-2(K) 2-08-B-3-Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section-2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police) Department Order No. -F2-(K)-10/2015/B-3/two,Bhopal, Dated 06-09-2018 in partial modification of the previous Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government, hereby with effect from date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette":-

1. Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column(3) of the said Table :

Table

Name of the Police Station (With tehsil and the District) from which excluded (1)	Name of village/ Local Areas (2)			Name of Police Station (with tehsil and the district) from which included (3)
	Name of village	Settlement No. Local Areas	Ward No.	
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Pandiyakheri	168	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Dalda Factory Quarter	168	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Shivnagar	168	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain

Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Panvasa Amrut nagar	156	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Baikunthdham Colony	156	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Nimanvasa	148	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Galpura	148	41	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Sangam Nagar	148	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Bajrang Colony	148	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Gauri Nagar	148	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Vermaji ka kua	148	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Shankarpur	257	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Madhopur	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Kesarbag	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Maitri Nikunj	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Pardi Mohalla	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain

Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Madhopura Tiraha	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Kshipra Vihar	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Panchkua	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Bajara	219	40	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Tajpur	114	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Darkhedi	124	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Khajuriya Kumawat	52	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Moula Khedi Bhensoda	211	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Biora	194	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Harsodan	281	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain
Police Station Chimanganj Dist Ujjain	Bheupura	114	Panchayat	Police Station Panvasa Dist. Ujjain

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शशांक मिश्र, कलेक्टर,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 06

शिवपुरी, दिनांक 6 जनवरी 2020

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम सलैया तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल 3.84 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण		
भूमि का विवरण								
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा हे.				
शिवपुरी	पिछोर	सलैया	1894	0.53	परियोजना संचालक और नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बांगौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर और वृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य		
			1893	0.14				
			1844	0.84				
			1833	0.04				
			1834	0.53				
			1832	0.31				
			1831	0.42				
			1828	0.73				
			1829	0.27				
			1899	0.01				
			1895	0.01				
			1843	0.01				
<b>कुल किता 12</b>			<b>कुल रकवा 3.84</b>					

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बांगौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारियों द्वारा भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

क्र. 07

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम जराय तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल 7.81 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का विवरण				रकवा हे.		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर			
शिवपुरी	पिछोर	जराय	367	0.09	परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर और वृहद सिचांई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य
			365	0.49		
			359	0.06		
			360	0.04		
			353	0.05		
			352	0.01		
			312	0.09		
			313	0.50		
			319	0.60		
			41	0.07		
			317	0.27		
			44	0.38		
			61	0.04		
			46	0.06		
			59	0.11		
			75	0.06		
			74	0.28		
			71	0.01		
			76	0.24		
			127	0.05		
			125	0.22		
			77	0.13		
			123	0.15		
			78	0.02		
			122	0.32		
			93	0.54		
			94	0.01		
			92	0.17		
			96	0.10		
			11	0.10		

			7	2.00		
			9	0.26		
			2	0.13		
			358	0.01		
			45	0.15		
कुल कित्ता 35			कुल रकवा 7.81			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारियों द्वारा प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगन सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

संलग्नक :— यथोक्त

क्र. 08

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम लभेडा तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल 5.93 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा है.		
शिवपुरी	पिछोर	लभेडा	1626	0.09	परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर ओर वृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य
			1628 / 1868	0.28		
			1628	0.10		
			1629	0.25		
			1630	0.02		
			1631	0.23		
			1632	0.13		

1802	0.12
1794	0.29
1792	0.35
1793	0.51
1788	0.05
1769	0.38
1791	0.09
1770	0.07
1768	0.43
1709	0.05
1714	0.44
1716	0.13
1715	0.06
1597	0.49
1607	0.26
1609	0.21
1608	0.53
1611	0.01
824	0.18
829	0.10
1784	0.04
826	0.04

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से सबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

**संलग्नक :- यथोक्त**

क्र. 09

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बाचरौन तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल **13.20** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा हे.		
शिवपुरी	पिछोर	बाचरौन	61	0.03	परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर और वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य
			76	0.36		
			75	0.07		
			77	0.14		
			1541	0.87		
			92	0.71		
			91	0.10		
			93	0.55		
			94	0.05		
			99	0.21		
			347	0.03		
			352	0.08		
			348	0.31		
			351	0.03		
			349	0.38		
			343	0.13		
			329	0.05		
			420	0.04		
			328	0.18		
			327	0.12		
			423	0.01		
			425	0.01		
			426	0.01		
			326	0.10		
			325	0.14		
322	0.26					
439	0.20					
455	0.16					
456	0.16					
465	0.19					

			599	0.13		
			598	0.07		
			600	0.12		
			601	0.03		
			602	0.04		
			603	0.08		
			608	0.02		
			605	0.02		
			607	0.05		
			606	0.06		
			762	0.11		
			763	0.12		
			760	0.12		
			775	0.02		
			764	0.05		
			765	0.01		
			774	0.07		
			767	0.10		
			773	0.06		
			772	0.05		
			770	0.04		
			771	0.09		
			1353	0.98		
			1277	0.06		
			1276	0.11		
			1275	0.11		
			1270	0.18		
			1269	0.21		
			1266	0.11		
			1264	0.34		
			1242	0.31		
			1241	0.02		
			1240	0.07		
			1239	0.01		
			1228	0.05		
			1229	0.08		
			1230	0.09		
			1227	0.04		
			1226	0.03		
			1232	0.02		
			1224	0.12		
			1220	0.11		
			1221	0.32		
			1207	0.28		
			1204	0.57		
			1203	0.03		
			1222	0.15		
			1188	0.07		
			1189	0.10		

			1190	0.32		
			1203	0.03		
			1184	0.52		
			1185	0.44		
			1195	0.07		
			1191	0.11		
<b>कुल किता एंव रकवा</b>			<b>85</b>	<b>13.20</b>		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

**संलग्नक :- यथोक्त**

क्र. 10

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम कालीपहाड़ी तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल 7.78 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सर्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			सर्वे नम्बर	रकवा है		
शिवपुरी	पिछोर	कालीपहाड़ी	452	0.10	परियोजना संचालक और नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर ओर वृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत बाहक नहर का निर्माण कार्य
			444	0.01		
			441	0.09		
			440	0.05		
			429/2	0.16		
			438/2	0.10		
			435	0.01		
			434	0.22		
			328	0.15		
			327	0.52		
			325	0.33		
			324	0.29		
			299	0.34		
			297	0.15		
			295/3	0.16		
			295/2	0.26		
			237	0.45		
			234	0.01		
			236	0.11		
			229	0.04		
			228	0.21		
			221	0.48		
			216	0.01		
			218	0.13		
			219	0.02		
			199	0.48		
			193	0.40		
			190	0.01		
			189	0.39		
			25	0.47		

			23	0.01		
			12	0.23		
			7	0.19		
			10	0.43		
			425	0.20		
			443	0.09		
			426	0.07		
			442	0.01		
			427	0.01		
			428/2	0.17		
			428/3	0.02		
			428/1	0.03		
			429/1	0.10		
			430	0.01		
			431	0.02		
			438/1	0.03		
			432	0.01		
<b>कुल किता 47</b>			<b>कुल रकवा 7.78</b>			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

**संलग्नक :— यथोक्त**

क्र. 11

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बदरवास तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल **6.22** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर / ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा है		
शिवपुरी	पिछोर	बदरवास	1420	0.57	परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बांगूर कलां जिला शिवपुरी	लोअर और घृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत बांडक नहर का निर्माण कार्य
			1417	0.27		
			1413	0.22		
			1412	0.68		
			1407	0.08		
			1406	0.35		
			1389	0.06		
			1388	0.43		
			1382	0.62		
			1351	0.04		
			1380	0.40		
			1372	0.06		
			1378	0.43		
			1377	0.05		
			1376	0.66		
			2114	0.01		
			1428	0.16		
			1427	0.48		
			1419	0.14		
			1387	0.31		
			1381	0.20		
कुल किता 21			कुल रकवा 6.22			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बांगूरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारियों परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे।

संलग्नक :— यथोक्त

क्र. 12

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम नांद तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी में कुल **12.20** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
भूमि का विवरण				रकवा हे.		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर		परियोजना संचालक ओर नवी परियोजना प्रबन्धन इकाई बासौर कलां जिला शिवपुरी	लोअर और वृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत नाटक नहर का निर्माण कार्य
शिवपुरी	पिछोर	नांद	984	0.20		
			985	0.28		
			969	0.21		
			968	0.03		
			970	0.42		
			961	0.06		
			973	0.44		
			122	0.02		
			112	0.21		
			114	0.22		
			116	0.22		
			115	0.09		
			117	0.09		
			111	0.08		
			110	0.20		
			138	0.04		
			107	0.13		
			108	0.40		
			109	0.41		
			106	0.08		
			104	0.47		
			90	0.26		
			89	0.06		
			85	0.15		
			73	0.10		
			72	0.32		
			63	0.52		
			62	0.33		
			44	0.06		
			58	0.13		
			61	0.01		

			59	0.01		
			56	0.12		
			57	0.23		
			46	0.18		
			47	0.17		
			49	0.01		
			48	0.10		
			50	0.01		
			30	0.29		
			382	0.15		
			384	0.01		
			386	0.34		
			389/3512	0.17		
			390	0.08		
			391	0.19		
			393	0.01		
			392	0.18		
			414	0.01		
			418	0.14		
			416	0.36		
			438	0.11		
			444	0.05		
			436	0.06		
			437	0.07		
			445	0.18		
			446	0.01		
			443	0.12		
			442	0.30		
			544	0.01		
			541	0.35		
			495	0.03		
			497/3550	0.21		
			496	0.08		
			498	0.22		
			497	0.19		
			499	0.19		
			490	0.09		
			489	0.50		
			488	0.30		
			28	0.02		
			27	0.01		
			20	0.09		
			19	0.01		
कुल किता 74 कुल रकवा 12.20						

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

**संलग्नक :- यथोक्त**

क्र. 13

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम वीरपुर तहसील पिछोर जिला - शिवपुरी में कुल **18.10** हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

### अनुसूची

अनुसूची					धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	रकवा है.		
शिवपुरी	पिछोर	वीरपुर	982/2	0.01	परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां जिला शिवपुरी	लोअर और वृहद सिचाई परियोजना के अंतर्गत याहक नहर का निर्माण कार्य
			982/3	0.07		
			990	0.02		
			985	1.77		
			982/4	0.10		
			982/5	0.07		
			984	0.14.		
			971	0.86		
			979	0.98		
			975/1	0.08		
			975/2	0.47		
			921	1.17		
			485	0.63		
			486	0.72		
			491	0.07		

495	0.83
729	0.19
732	0.04
730	0.17
731	0.02
734	0.06
733	0.01
722	0.01
721	0.05
682	0.07
720	0.02
719	0.02
684	0.01
683	0.08
681	0.05
679	0.06
667	0.05
687	0.01
678	0.10
671	0.08
670	0.09
672	0.04
661	0.06
592	0.46
591	0.06
589	0.06
588	0.01
595	0.04
594	0.04
597	0.03
596	0.12
584	0.11
599	0.07
600	0.01
608	0.01
601	0.07
602	0.04
603	0.10
606	0.05
607	0.04
605	0.02
604	0.03
583	0.17
394	0.06
397	0.03
392	0.16
393	0.20
395	0.06
395/1014	0.08
393/1013	0.16
112	0.37
100	0.23
99	0.01
96	0.21
67	0.02
70	0.02

				74	0.01		
				71	0.04		
				68	0.16		
				72	0.24		
				69	0.12		
				59/1028	0.02		
				59	0.20		
				58	0.38		
				57	0.02		
				53	0.24		
				49	0.64		
				50	0.08		
				48	0.06		
				46	0.20		
				44	0.03		
				241	0.24		
				239	0.13		
				237	0.01		
				238	0.25		
				258/1	0.10		
				251	0.12		
				256	0.20		
				254	0.21		
				817/2	0.12		
				818	0.16		
				820	0.26		
				995	0.16		
				986	0.40		
				972	0.06		
				920	0.01		
				492	0.65		
				739	0.02		
				662	0.13		
				कुल किता 104 कुल रक्वा 18.10			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकला, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

संलग्नक :— यथोक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुग्रहा पी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2019

क्र. 1120-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—लूक न. 1
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.029 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
----------	--------------------------

(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1229/2	0.029
योग . .	<u>0.029</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “महाना वितरक नहर की माइनर” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1156-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—खम्हरिया
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.086 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
37/2/ख	0.086
योग . .	<u>0.086</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “घुघचिहाई माइनर के छूटे रक्बे” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1158-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—अतरैला 11
- (घ) क्षेत्रफल—0.052 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
265/2	0.052	-
योग . .	<u>0.052</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर उद्वहन योजना नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1160-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—खटखरी कला
- (घ) क्षेत्रफल—2.425 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
32	-	0.020
36	0.400	-
38	0.048	-
41	0.520	-
44	0.020	-
45	0.016	-
46	0.030	-
47	0.280	-
48	0.264	-
63	0.072	-
64	0.048	-
65	0.003	-
66	0.024	-
79	-	0.680
योग . .	1.725	0.700
महायोग . .	2.425	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1164-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—गुढ़ पवाई
- (घ) क्षेत्रफल—0.045 हेक्टेयर।

खसरा	अर्जित रकबा (हे. में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
53/2	0.045	
योग . .	0.045	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक
महायोग . .	0.045	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1166-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया

जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—शिवपुर कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—0.045 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. मे.)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
236	0.045	
योग . .	0.045	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक
महायोग . .	0.045	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1168-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—तिकेतन पुर्वा
- (घ) क्षेत्रफल—0.271 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. मे.)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
52/2	0.047	
276	0.224	
योग . .	0.271	-
(ब) शासकीय भूमि		निरंक
महायोग . .	0.271	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1170-प्रका.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—गड़ेहरा
- (घ) क्षेत्रफल—0.561 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा (हे. मे.)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
9	0.049	
11	0.090	
25	0.096	
28	0.128	
29	0.032	
योग . .	0.395	-
(ब) शासकीय भूमि		
27	-	0.168
योग . .	-	0.168
महायोग . .	0.561	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—त्योंथर बहाव योजना के टमस मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

पत्र क्र. 1086-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—खरा-190 दीनदयाल नं. 3
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.270 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
8	0.393	0.026	
9	0.227	0.021	
7/2	0.045		0.032
7/1	0.182		
10/1	0.235		
10/2	0.214		
10/3	0.024	0.064	
10/4	0.239		
6	0.619	0.052	
11/1	0.421		
11/2	0.219	0.075	
11/2	0.020		
योग . .		<u>0.270</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी. पहुंच मार्ग में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1088-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—खरा-170
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.025 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
02	0741	0.025	
योग . .		<u>0.025</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी. पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1090-प्रका.-भू-अर्जन-2018-19.—चंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—बेलहा 742
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—1.030 हेक्टेयर।

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
230	0.166	0.042	
205/1	0.057	0.032	
205/2	0.255		
204/1	0.202	0.030	
204/2	0.069		
249	1.635	0.110	
250	0.243	0.040	
251/1	0.194	0.050	
251/2	0.069		
256/1	0.140	0.056	
256/2	0.214		
257	0.024	0.005	
258/1	0.223	0.051	
258/2	0.157		
259	0.040	0.008	
260	0.251	0.050	
261	0.267	0.031	
286	0.166	0.034	
287	0.247	0.059	
288	0.255	0.059	
290	0.223	0.021	
291	0.243	0.021	
292	0.263	0.027	
293	0.178	0.023	
297	0.405	0.123	
296	0.073	0.038	
277	0.061	0.012	
278	0.178	0.016	
276	0.049	0.010	
275	0.239	0.050	
273	0.239	0.031	
	योग . .	1.030	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाणसागर बी.पी.टी. पहुंच मार्ग में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

**क्र. B-6384-दो-2-65-2018.**—श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 6 से 9 जनवरी 2020 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2019

**क्र. C-5419-दो-2-16-2019.**—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन की शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. C-5421-दो-2-32-2019.**—श्री मो. शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 19 से 25 दिसम्बर 2019 तक सात दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 29 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. शकील खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. शकील खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. C-5423-दो-2-80-2017.**—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2019 तक छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. C-5426-दो-2-63-2017.**—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. C-5428-दो-2-24-2014.**—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. C-5430-दो-2-17-2016.**—श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-5432-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2019 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 8 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8312-दो-2-86-2018.—श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रेम कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रेम कुमार सिन्हा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8314-दो-2-36-2018.—श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-8316-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2019 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8318-दो-3-32-2006.—श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला  
एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2019  
तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8324-दो-2-8-2012.—श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. D-8327-चार-8-42-77 भाग-सोलह.—श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8329-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 30 अक्टूबर 2019 का, दिनांक 6 नवम्बर 2019 का, दिनांक 9 नवम्बर 2019 का, दिनांक 13 नवम्बर 2019 का तथा दिनांक 20 नवम्बर 2019 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8331-दो-2-इकाइ-2019.—श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2019 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6 दिसम्बर 2019 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-8333-दो-2-45-2019.—श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2019 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2019 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2019 के तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 1 जनवरी 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. के. द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. के. द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
अजय पवार, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2019

शुद्धि-पत्र

क्र. B-6376-दो-2-50-18.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-5766, दिनांक 25 नवम्बर 2019 के पृष्ठांकन की कंडिका क्रमांक (4) में डॉ. रमेश कुमार साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल पढ़ा एवं समझा जावे।

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार